

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्वास सिंह




# राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

चुनार-मीरजापुर (उप्र०)

नैक द्वारा "B" ग्रेड प्राप्त



**विवरणिका**  
(प्रवेश आवेदन पत्र सहित)



## स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चुनार, मिर्जापुर

### सोच (Vision)

शिक्षा से व्यक्ति की आध्यात्मिक एवं भौतिक प्रगति तथा समाज का अभ्युदय हो सकता है।

### संकल्प (Mission)

समुचित, प्रासादिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा ग्रामीण जन का समग्र विकास करना।

### उद्देश्य (Objectives)

- ग्रामीण जनता, विशेष रूप से वर्चित एवं कमजोर समुदाय, में उच्च शिक्षा का प्रसार।
- वैज्ञानिक एवं नैतिक शिक्षा का संवर्धन एवं शैक्षणिक उन्नयन।
  - उदार एवं पारम्परिक मूल्यों का विकास।
  - व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास।

### सूत्रवाक्य (Motto)

‘विद्यया ऽ मृतमश्नुते’

विद्या से अमरत्व की प्राप्ति हाती है, अर्थात् विद्या ही वह साधन है जिससे संसार के सम्पूर्ण जीव अमरता को प्राप्त कर सकते हैं।

(शुक्लयजुर्वेद के उपनिषद ईशोपनिषद (ईशावास्योपनिषद) के 16वें मन्त्र का अंश)

## स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

चुनार, मिर्जापुर – 231 304, उत्तर प्रदेश, भारत

फोन / फैक्स: 05443–222823; ईमेल: [govtcollegechunar@yahoo.com](mailto:govtcollegechunar@yahoo.com)

वेबसाइट: [www.sssvsgpgc.org](http://www.sssvsgpgc.org)

# 1. परिचय

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित एवं महात्मागांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से सम्बद्ध इस महाविद्यालय की स्थापना छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1996 में इस क्षेत्र में महाविद्यालय की मांग के प्रतिफल के रूप में की गयी। आदर्श महाविद्यालय की संकल्पना को साकार करने के लिए शासन द्वारा कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र तथा विज्ञान संकाय में गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति एवं जन्तु विज्ञान विषयों के साथ नहाविद्यालय प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी। सत्र 1996-97 में पाषाण संघ द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये गये भवन में कला संकाय के उपर्युक्त सात विषयों के साथ किया गया। सत्र 2000-2001 से विज्ञान संकाय में गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति एवं जन्तु विज्ञान विषयों की कक्षाएं प्रारम्भ हुई। सत्र 2001-2002 से स्नातकोत्तर में संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र एवं सत्र 2008-09 से इतिहास, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी व समाजशास्त्र की कक्षाओं का संचालन भी प्रारम्भ हुआ। सत्र 2005-06 से विज्ञान संकाय के सभी विषयों में स्नातकोत्तर की कक्षाएं शुरू हुईं।

NAAC द्वारा "B" ग्रेड प्राप्त आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न यह महाविद्यालय चुनार नगर, से 03 किलोमीटर पूरब चुनार-मुगलसराय रेलमार्ग के समीप प्रकृति के शान्त एवं सुरम्य वातावरण में अपने नवीन भवन में संचालित है। महाविद्यालय हेतु पिरल्लीपुर ग्राम में उपलब्ध करायी गयी 3.18 हैक्टेयर भूमि पर कला संकाय एवं प्रशासनिक भवन का शिलान्यास दिनांक 31-10-97 को तत्कालीन मुख्यमन्त्री माननीय श्री कल्याण सिंह जी द्वारा हुआ। कला संकाय भवन का लोकार्पण 6-12-1999 को एवं विज्ञान संकाय भवन का लोकार्पण 4-9-2001 को माननीय श्री ओमप्रकाश सिंह जी, मन्त्री उच्च शिक्षा के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ।

चुनार नगर मीरजापुर जनपद का सब डिविजनल मुख्यालय है। यह रेल एवं सड़क मार्ग से अन्य नगरों से जुड़ा है। यह वाराणसी से 43 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम तथा मीरजापुर से 32 किलोमीटर पूरब में वाराणसी-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07) पर अवस्थित है। चुनार जं. उत्तर रेलवे के इलाहाबाद, मीरजापुर-मुगलसराय मार्ग पर स्थित है। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी-इलाहाबाद मार्ग से माधोसिंह व ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन एवं वाराणसी जी. टी. रोड से वाया मीरजापुर भी पहुँचा जा सकता है।

# पाठ्य विषय

यह महाविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से सम्बद्ध है। महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर इस विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

**कला संकाय (Arts Faculty)** में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 07 विषयों –

हिन्दी (Hindi), संस्कृत (Sanskrit), अंग्रेजी (English), इतिहास (History), समाजशास्त्र (Sociology), राजनीतिशास्त्र (Political Science), एवं अर्थशास्त्र (Economics) में अध्ययन की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय द्वारा कला संकाय में निर्धारित सीटें इस प्रकार हैं –

स्नातक स्तर पर निर्धारित सीट	विषय	स्नातकोत्तर स्तर पर निर्धारित सीट
उत्तर प्रदेश शासन व विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार	1. हिन्दी	60
	2. अंग्रेजी	60
	3. संस्कृत	60
	4. इतिहास	60
	5. अर्थशास्त्र	60
	6. समाजशास्त्र	60
	7. राजनीतिशास्त्र	60

नोट : प्रवेशार्थी हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत में से अधिकतम दो विषय ले सकता है।

## विषय पुंज –

1.	हिन्दी	राजनीति शास्त्र	अर्थशास्त्र
2.	हिन्दी	राजनीति शास्त्र	शास्त्रीयिक शिक्षा
3.	हिन्दी	राजनीति शास्त्र	संस्कृत
4.	हिन्दी	समाजशास्त्र	अंग्रेजी
5.	इतिहास	हिन्दी	अंग्रेजी
6.	इतिहास	हिन्दी	शास्त्रीयिक शिक्षा
7.	इतिहास	हिन्दी	संस्कृत
8.	इतिहास	राजनीतिशास्त्र	अर्थशास्त्र
9.	समाजशास्त्र	इतिहास	अंग्रेजी
10.	समाजशास्त्र	इतिहास	शास्त्रीयिक शिक्षा
11.	समाजशास्त्र	इतिहास	संस्कृत
12.	समाजशास्त्र	इतिहास	अर्थशास्त्र
13.	राजनीतिशास्त्र	समाजशास्त्र	अंग्रेजी
14.	राजनीतिशास्त्र	समाजशास्त्र	शास्त्रीयिक शिक्षा
15.	राजनीतिशास्त्र	समाजशास्त्र	संस्कृत
16.	राजनीतिशास्त्र	समाजशास्त्र	अर्थशास्त्र

नोट – प्रवेशार्थी द्वारा चयनित विषय पुंज यदि प्रवेश के समय प्रवेशार्थी के मेरिट से पूर्व भर जाता है तो उसे अन्य विषय पुंज या विषय का अवसर दिया जायेगा। अन्तिम तिथि को बचे हुए विषय ही दिये जा सकेंगे।

**विज्ञान संकाय (Science Faculty)** में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 05 विषयों – भौतिकी (Physics), रसायनविज्ञान (Chemistry), गणित (Mathematics), वनस्पति विज्ञान (Botany) एवं जन्तु विज्ञान (Zoology) में अध्ययन की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान संकाय में निर्धारित सीटें इस प्रकार हैं –

स्नातक स्तर पर निर्धारित सीट	विषय	स्नातकोत्तर स्तर पर निर्धारित सीट
-कुल 120 सीट	1. गणित	60
- गणित वर्ग 60 सीट (गणित, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान)	2. भौतिकी	30
- जीव विज्ञान वर्ग 60 सीट (वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं रसायन विज्ञान)	3. रसायन विज्ञान	30
	4. वनस्पति विज्ञान	30
	5. जन्तु विज्ञान	30

# प्रवेश प्रक्रिया



प्रवेश नियम

स्नातक

- प्रवेश पूर्णतः मेरिट (योग्यता—सूचकांक) के आधार पर होगा।
  - बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट परीक्षा में 40% अंक है।
  - बी.एस.—सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट परीक्षा में 45% अंक है।
  - स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम अन्तराल इंटर के बाद दो वर्ष है। वर्ष के अन्तराल पर योग्यता सूचकांक से 05 अंक प्रति वर्ष की कटौती की जाएगी। हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा के उत्तीर्ण वर्ष में दो वर्ष से अधिक अन्तराल वाले छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  - प्रवेशार्थी सोच—विचार कर विषयों का चयन करें। प्रवेश के पश्चात विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

## स्नातकोत्तर

6. प्रवेश पूर्णतः मेरिट (योग्यता-सूचकांक) के आधार पर होगा।
7. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता स्नातक परीक्षा में 45% अंक है।
8. मेरिट सूची में नाम आने पर नियत तिथि तक प्रवेश न लेने पर पुनःप्रवेश नहीं दिया जाएगा।
9. स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश दिया जायेगा जो स्नातक अंतिम वर्ष में रहा होगा।  
एम. ए. अर्थशास्त्र में प्रवेश हेतु बी.कॉम. के छात्रों के प्रवेश मान्य होगा।
10. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु स्नातक परीक्षा के उत्तीर्ण वर्ष में दो से अधिक अन्तराल वाले छात्र को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। अन्तराल पर मेरिट सूचकांक से 05 प्रति वर्ष अंकों की कटौती की जायेगी।
10. आरक्षण नियमों को समाविष्ट करते हुए स्नातकोत्तर कक्षाओं में 80% आन्तरिक छात्र एवं 20% बाह्य छात्र के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

## सामान्य निर्देश

11. अपूर्ण एवं अन्तिम तिथि के बाद आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. साक्षात्कार के समय समस्त मूल प्रमाण-पत्र अवश्य लाएँ। मूल प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा।
13. न्यूनतम अर्हता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सीट उपलब्ध रहने पर शिथिल किया जा सकता है।
14. प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा जारी नवीनतम नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
15. प्रवेश में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। ओ.बी.सी. एवं एस.सी./एस.टी. जाति प्रमाणपत्र कम्प्यूटराइज्ड ही मान्य होगा।

वर्तमान में प्रवेश में आरक्षण इस प्रकार है –

अनुसूचित जाति 21%, अनुसूचित जनजाति 02%, अन्य पिछड़ी जाति 27%।

इनके साथ क्षैतिज आरक्षण इस प्रकार है –

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02%, विकलांग 02%, विस्थापित परिवार 02% एवं महिला 20%।

16. किसी कक्षा में प्रवेश लेकर परीक्षा छोड़ देने अथवा अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में अथवा अन्य संकाय की कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
17. संकाय अथवा विषय बदल कर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी परीक्षा विद्यार्थी एक बार उत्तीर्ण कर चुका है।
18. अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले अवांछनीय गतिविधियों में सम्मिलित रहने वाले छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
19. जिस छात्र/छात्रा पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किसी अभियोग में मुकदमा चल रहा हो या दण्ड प्राप्त हुआ हो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

20. गलत सूचना देने अथवा किसी तथ्य को छिपाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उसके द्वारा जमा किया हुआ शुल्क भी वापस नहीं किया जायेगा।
21. प्राचार्य किसी प्रवेशार्थी का प्रवेश बिना कारण बताये महाविद्यालय हित में निरस्त अथवा अस्वीकार कर सकते हैं।

## **योग्यता सूचकांक का निर्धारण**

1. स्नातक में प्रवेश हेतु योग्यता सूचकांक का निर्माण निम्नवत् होगा –
- योग्यता सूचकांक = इंटरमीडिएट परीक्षा का प्राप्तांक  
+ अधिभार का अंक  
- कटौती का अंक (यदि कोई हो)

नोट : व्यवसायिक विषय लेकर इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं का योग्यता सूचकांक लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर निश्चित की जायेगी।

2. स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु योग्यता सूचकांक का निर्माण निम्नवत् होगा –
- योग्यता सूचकांक = स्नातक परीक्षा का कुल प्राप्तांक  
+ अधिभार का अंक  
- कटौती (यदि कोई हो)

### **अधिभार अंक** (अधिकतम 25 अंक देय)

1.	चुनार नगर पालिका / नरायनपुर ब्लाक में स्थित इंटर कालेज से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ..20 अंक (केवल स्नातक में प्रवेश हेतु)	20 अंक
2.	मंडलीय क्रीड़ा प्रतियोगिता .....	05 अंक
3.	राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता .....	10 अंक
4.	एन.सी.सी. "ए" प्रमाण—पत्र धारक .....	05 अंक
5.	एन.सी.सी. "बी" प्रमाण—पत्र धारक.....	10 अंक
6.	एन.सी.सी. "सी" प्रमाण—पत्र धारक .....	15 अंक
7.	एन.एस.एस. मंडलीय प्रमाण—पत्र धारक / प्रवीण प्रमाण—पत्र धारक .....	05 अंक
8.	एन.एस.एस. राज्यस्तरीय प्रमाण—पत्र धारक / निपुण प्रमाण पत्र धारक .....	10 अंक
9.	इस महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी का आश्रित .....	15 अंक

### **देय शुल्क**

प्रवेश के समय शासन व विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। प्रयोगशाला / पुस्तकालय / काशनमनी केवल प्रथम वर्ष में नये प्रवेश लेने वाले छात्रों से लिया जायेगा। नामांकन शुल्क नये प्रवेश एवं अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों से लिया जायेगा। उपाधि शुल्क विश्वविद्यालय के नियमानुसार लिया जायेगा। शुल्क का परिवर्तन शासन व विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जा सकता है।

### **प्रवेशोपरान्त**

1. शुल्क जमा करने के साथ प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।
2. प्रवेश रसीद / शुल्क रसीद प्रस्तुत कर कार्यालय से परिचय—पत्र प्राप्त करें।
3. सूचना पट से सम्बन्धित विषय की समय सारणी नोट कर लें।
4. प्रवेश रसीद / शुल्क रसीद सम्बन्धित विषय की कक्षा में प्राध्यापक के समक्ष प्रस्तुत कर सम्बन्धित विषय की व्याख्यान पंजिका में नाम अंकित करा लें एवं कक्षाओं में नियमित उपस्थित हों।
5. स्मरण रहे कि विश्वविद्यालय के अनुसार प्रत्येक विषय में अलग—अलग कक्षा में न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है। उपस्थिति कम होने की दशा में विश्वविद्यालय विद्यार्थी को परीक्षा से वंचित कर सकता है।
6. प्रत्येक विद्यार्थी से अपेक्षा है कि वह महाविद्यालय, कार्यालय तथा विभागों के सूचना पट्ट को महत्वपूर्ण सूचनाओं / नियमों / परिनियमों के लिए देखता रहे। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित इन नियमों / परिनियमों का पालन विद्यार्थी द्वारा अपेक्षित है।

# **अनुशासन**

## **महाविद्यालय में विद्यार्थियों का आचारण**

महाविद्यालय में स्वस्थ परम्पराएं बनाये रखने तथा नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का उत्तरदायित्व महाविद्यालय से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति का है। प्रत्येक छात्र/छात्रा को इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए तथा निष्ठापूर्वक महाविद्यालय के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। सभी छात्र/छात्राओं को अनुशासनपूर्वक रहना अनिवार्य है। किसी भी दशा में छात्र/छात्राओं को अनुशासन/नियमों का उलंघन नहीं करना चाहिए। महाविद्यालय की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए छात्र/छात्राओं का पूर्ण सहयोग आवश्यक है। छात्रों को महाविद्यालय के फर्नीचर, विद्युत एवं अन्य उपकरणों की सुरक्षा करनी चाहिए तथा उन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाना चाहिए।

### **रैगिंग पाबन्दी**

रैगिंग का तात्पर्य है: लिखकर, बोलकर, हावभाव दिखाकर अथवा शारीरिक क्रिया से किसी विद्यार्थी को कष्ट पहुँचाना; किसी विद्यार्थी को भौतिक रूप से प्रताड़ित करना; नवागन्तुक एवं अपने से कनिष्ठ/वरिष्ठ विद्यार्थियों को डराना, धमकाना, हतोत्साहित करना, उनके क्रियाकलापों में अवरोध पैदा करना, परेशान करना, मानसिक कलेश पहुँचाना, उन्हें ऐसे कृत्य करने के लिए बाध्य करना जिन्हें वे सामान्य दशा में नहीं करते अथवा जिन्हें करके वे शर्मिन्दित होते हों, दुःखी होते हों और ऐसा करने से उनके भौतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता हो; तथा रैगिंग जैसे दुष्कृत्य को प्रेरित करना।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग को संज्ञेय अपराध माना है और इसे रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी रैगिंग को अमानवीय, असामाजिक एवं आपराधिक कृत्य मानते हुए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किये हैं। इनके अनुपालन में महाविद्यालय ने रैगिंग पर पूर्ण पाबन्दी सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालय के प्राध्यापकों की एक एण्टी रैगिंग समिति (Anti Ragging Committee) का गठन किया गया है।

रैगिंग में लिप्त पाये गये विद्यार्थी के विरुद्ध अपराध की गम्भीरता के अनुसार निम्नलिखित दण्डात्मक कार्रवाइयों का प्रावधान है:— (1) प्रवेश निरस्तीकरण, (2) कक्षा से निलम्बन एवं परीक्षा देने पर प्रतिबन्ध, (3) छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाओं पर रोक, (4) छात्रावास से निष्कासन, (6) रु. 25,000=00 का जुर्माना, (5) संस्थान से निष्कासन एवं किसी अन्य संस्था में प्रवेश पर प्रतिबन्ध, (6) न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना, आदि।

### **शास्ता-मण्डल**

अनुशासन व्यवस्था के लिए इस महाविद्यालय में एक शास्ता मण्डल (प्रॉक्टोरियल बोर्ड) है, जिसके अध्यक्ष को चीफ प्रॉक्टर कहते हैं और इसके सदस्यों को प्रॉक्टर कहते हैं। महाविद्यालय में अनुशासित एवं शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करना अनुशास्ता मण्डल का कार्य है। अनुशास्ता मण्डल अनुशासन भंग करने वाले या महाविद्यालय की छवि धूमिल करने का प्रयास करने वाले छात्र/छात्रा से पूछ-ताछ कर तदनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करती है।

उत्तर प्रदेश यूनिसिटी एकट 1973 के अनुक्षेद 8 की धारा 45 उप धारा (4) के अनुसार कोई विद्यार्थी जिसका कार्य, व्यवहार एवं आचरण संतोषजनक नहीं है, उसे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या दोनों से निकाला जा सकता है।

## **परिचय पत्र**

प्रवेश रसीद / शुल्क रसीद प्रस्तुत करने पर कार्यालय द्वारा छात्र का परिचय—पत्र प्राप्त हो सकेगा। परिचय—पत्र पर छात्र/छात्रा की नवीनतम फोटो किसी प्राध्यापक द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। परिचय—पत्र के बिना महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित है। महाविद्यालय में किसी भी समय शास्ता मण्डल द्वारा परिचय—पत्र की जांच की जा सकती है। परिचय—पत्र नहीं पाये जाने की दशा में उसे महाविद्यालय का छात्र नहीं माना जायेगा। अतएव उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

## **स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र**

इस प्रमाण—पत्र को प्राप्त करने के लिए निर्धारित फार्म भरकर उसे कार्यालय में देना चाहिए। स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र आवेदन—पत्र जमा करने के तीन दिन बाद निर्गत होगा।

## **चरित्र प्रमाण—पत्र**

यह प्रमाण—पत्र प्रत्येक छात्र/छात्रा को सत्र में एक बार दिया जायेगा। उसी सत्र में पुनः प्रमाण—पत्र लेने पर ₹0 1.00 शुल्क देना होगा। चरित्र प्रमाण—पत्र के लिए मुख्य अनुशासक की संस्तुति अनिवार्य है।

## **छात्र कल्याण**

### **शुल्क मुक्ति**

शिक्षा संहिता की धारा 109 तथा 110 के अन्तर्गत निर्धन एवं पात्रता प्राप्त छात्र/छात्राओं को शुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है। शुल्क मुक्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र जो ₹10.00 में प्राप्त होगा, भरकर आवश्यक प्रमाण—पत्रों को संलग्न करते हुए कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कर देना चाहिए तथा निर्धारित तिथि पर शुल्क मुक्ति समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना चाहिए। जो छात्र/छात्रा साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होगा, उसके आवेदन—पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। धारा 106 के अन्तर्गत ब्रदर कन्सेशन देने का नियम भी है, जो छात्र/छात्रा इस सुविधा का लाभ लेना चाहें उन्हें भी आवेदन—पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को शुल्कमुक्ति (शिक्षण—शुल्क) प्रदान की जाती है।

### **निर्धन छात्र सहायता कोष**

जिन निर्धन छात्रों को शुल्क—मुक्ति की सुविधा नहीं मिली है उनके लिए निर्धन छात्र सहायता कोष उपलब्ध है। निश्चित तिथि तक विद्यार्थियों से प्रार्थना—पत्र आमन्त्रित किये जायेंगे, जिसपर प्राचार्य द्वारा गठित समिति छात्र/छात्राओं का साक्षात्कार करने के उपरान्त अपना निर्णय देगी। प्राचार्य द्वारा निर्णय का अनुमोदन कर दिये जाने पर अर्थिक सहायता प्राप्त छात्र/छात्राओं के नामों की सूची घोषित कर दी जायेगी।

### **5.3. छात्रवृत्ति**

महाविद्यालय के समस्त वर्ग (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक) के विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

## **रेलवे कन्सेशन**

दीर्घकालीन छुटियों के समय छात्रों को अपने स्थायी निवास स्थान पर जाने तथा वहां से महाविद्यालय लौटने के लिए रेलवे कन्सेशन की सुविधा उपलब्ध है।

## **कॉशन मनी**

महाविद्यालय छोड़ने पर कॉशन मनी (सुरक्षित धन) की वापसी की जाती है। परन्तु इसके लिए छात्र को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। यह वापसी केवल अक्टूबर-नवम्बर माह में ही की जायेगी।

## **पाठ्येतर क्रियाकलाप**

### **विभागीय परिषद**

महाविद्यालय में प्रत्येक विषय की विभागीय परिषदें होती हैं। जिसका गठन निर्दिष्ट प्रणाली द्वारा होता है। इन परिषदों का लक्ष्य उस विषय से सम्बद्ध बौद्धिक क्रियाकलापों का आयोजन करना है।

### **क्रीड़ा परिषद**

महाविद्यालय में खेल-कूद सम्बन्धी कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित एवं संचालित किये जाते हैं। महाविद्यालय, अन्तर-महाविद्यालय एवं अन्तर-विश्वविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में विद्यार्थी की सहभागिता की समस्त सुविधायें इस परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं।

### **राष्ट्रीय सेवा योजना**

छात्रों में देशभक्ति एवं समाज सेवा की प्रवृत्ति जागृत करने हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई का गठन किया जाता है। वर्तमान सत्र से महाविद्यालय में इसकी इकाई पुनः गठित कर दी गई है। इस योजना में पंजीकृत छात्र सदस्यों को दो वर्षों में (120+120 घंटों की) सामाजिक सेवा का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करना पड़ता है तथा कम से कम चार एक दिवसीय व एक दस दिवसीय विशेष वार्षिक शिविर (100 छात्रों का) में भाग लेना अनिवार्य होता है। इसके उपरान्त ही छात्र को राष्ट्रीय सेवा योजना प्रमाण पत्र एन.सी.सी. के 'बी' एवं 'सी' प्रमाण-पत्र के समतुल्य प्रदान किया जाता है। इस प्रमाण-पत्र से बी.एड. प्रवेश तथा अन्य सेवाओं में वरीयता दी जाती है।

## **रोवर्स एवं रेंजर्स**

विद्यार्थियों के मध्य सेवा-भावना एवं संगठनात्मक क्षमता उत्पन्न करने की दृष्टि से रेंजर्स एवं रोवर्स दल जो गाइडिंग का उच्च रूप है, का गठन किया जाता है। ये दल सामाजिक विषमताओं, कुरीतियों, अन्धविश्वासों को दूर करने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्र में सामाजिक सहायता का कार्य करता है। इसमें निष्ठापूर्वक किये गये महत्वपूर्ण कार्यों पर राष्ट्रपति पदक तक प्राप्त हो सकते हैं।

भारत वर्ष में स्काउट एवं गाइड आन्दोलन राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता और विशेषतः युवा वर्ग के मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है। इस आन्दोलन के विस्तार की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए बेडेन पावेल ने युवा वर्ग को रोवर्स/रेंजर्स की संज्ञा देते हुए उनके दलों की स्थापना पर बल दिया था।

युवा शक्ति को अनुशासनबद्ध करने, उनमें सेवा भाव, भाई-चारा, संगठन एवं नेतृत्वकी भावना विकसित करने तथा उन्हें भविष्य में निर्माणार्थ दिशा मूलक सिद्धान्तों से अवगत कराने की दृष्टि से इस महाविद्यालय में रोवर्स क्रू तथा रेंजर्स टीम की स्थापना की गयी है। 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों के वर्ग को रोवर्स क्रू तथा छात्रों के वर्ग को रेंजर्स दल का नाम दिया गया है। प्रत्येक दल में 24 सदस्य होंगे।

## **एन०सी०सी०**

सत्र 2013–14 से छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु N.C.C. कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय में प्रारंभ हो गया है। जिसका विधिवत प्रशिक्षण N.C.C. अधिकारियों द्वारा दिया जाता है।

## **वर्षिकोत्सव**

विद्यार्थी के सर्वतोमुखी विकास का परिणाम महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव है। इस अवसर पर एक भव्य समारोह आयोजित कर वर्ष पर्यन्त आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरित किये जाते हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी व्यवस्था है।

## **पत्रिका**

महाविद्यालय एक वार्षिक पत्रिका “ज्ञानदीप” प्रकाशित करता है। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता का प्रकाशन एवं प्रसुप्त रचनाधर्मिता का उद्घाटन महाविद्यालय पत्रिका द्वारा होता है। इसमें छात्र/छात्राएं कविता, गीत, निबन्ध, लेख, आलोचना, अमरवाणी, क्षणिकाएं, शोध-निबन्ध, संस्मरण आदि प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2002–03 में पत्रिका के विशेषांक का प्रकाशन प्रारम्भ हो चुका है।

## **छात्र सुविधाएँ**

## **पुस्तकालय**

नियमित पुस्तकालयाध्यक्ष के पदासीन रहने पर पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को दो पुस्तकालय पुस्तक ग्रहण-पत्र, प्रवेश के उपरान्त प्रवेश आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर पुस्तकालय द्वारा पुस्तक ग्रहण-पत्र की प्राप्तिका प्राप्त करते हुए निर्गत की जायेगी। इन्हीं पत्रों के माध्यम से छात्र/छात्रायें पुस्तकालय की पुस्तकें प्राप्त करेंगे। पुस्तक ग्रहण-पत्र जिस विद्यार्थी के नाम निर्गत है वही पुस्तकें प्राप्त करेगा। काउन्टर पर उपलब्ध दैनिक निर्गत पंजिका में आवश्यक प्रवृष्टि कर पुस्तकें ले जायी जायेंगी। पुस्तक ग्रहण-पत्र खो जाने/नष्ट हो जाने की स्थिति में दूसरा रीडर्स कार्ड निर्गत नहीं किया जायेगा और खोए हुए कार्ड पर किसी अन्य विद्यार्थी द्वारा पुस्तक प्राप्त कर लेने की स्थिति में जिस छात्र के नाम यह कार्ड है उसी के उपर पुस्तक की देनदारी स्थापित होगी पुस्तकें तीस दिन की अवधि के लिए एक बार में निर्गत की जायेंगी। विलम्ब की स्थिति में 0.25 पैसा प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड देना होगा। पुस्तकालय से अदेयता प्राप्त करते समय इन रीडर्स कार्डों को

पुस्तकालय में जमा करना अनिवार्य है। पुस्तकालय में पुस्तकें पूर्वाहन 11.00 बजे से अपराहन 2.00 बजे तक निर्गत / जमा की जायेंगी। अन्य छात्रों द्वारा मांग न होने पर वही पुस्तक पुनः निर्गत की जा सकती है।

समस्त पुस्तकें परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व छात्र द्वारा लौटाया जाना आवश्यक है। यदि कोई छात्र परीक्षाओं के समर्थ अवधि के लिए पुस्तक रखना चाहता है तो इसके लिए “ओवर इक्जाम इशू” व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत परीक्षा प्रारम्भ होने से 15 दिन पूर्व सूचना प्रसारण होने के पश्चात् छात्र / छात्राओं से निर्धारित आवेदन—पत्र प्राप्त करने के पश्चात् पुस्तक के मूल्य की दोगुनी राशि जमा कराकर पुस्तकों की प्राप्तिका प्राप्त कर पुस्तकें परीक्षा अवधि तक के लिए निर्गत किये जाने की व्यवस्था है। परीक्षा समाप्त होते ही पुस्तकें पुस्तकालय में वापस किया जाना है अन्यथा परीक्षा समाप्ति के एक सप्ताह के उपरान्त 0.50 पैसा प्रतिदिन की दर से जमा राशि में से कटौती की जायेगी। पुस्तक मूल्य की 10 प्रतिशत राशि की कटौती करने के उपरान्त शेष राशि छात्रों को उपलब्ध करा दी जायेगी। किन्तु यह राशि ग्रीष्मावकाश के उपरान्त महाविद्यालय के खुलने पर वापस की जायेगी। छात्र पुस्तक लेते समय भली भांति देख लें, यदि पुस्तक फटी हुई है या उसके बीच के कुछ पृष्ठ गायब हैं तो उसी दिन अथवा अगले दिन वापस कर देना चाहिए या पुस्तकालयाध्यक्ष से इस आशय की टिप्पणी अंकित करा लेना चाहिए कि पुस्तक फटी हालत में है।

पुस्तकों का सुरक्षित उपयोग छात्रों का नैतिक कर्तव्य है। पुस्तकें कटी, फटी, गंदी, निशान लगी पाये जाने पर पुस्तक का वर्तमान मूल्य छात्रों से लिया जायेगा। नियमित पुस्तकालयाध्यक्ष के पदासीन न रहने पर पुस्तकों का वितरण सम्भव नहीं होगा।

### **वाचनालय**

महाविद्यालय के भवन में एक पृथक् वाचनालय की व्यवस्था है। जिसमें छात्र / छात्राएं विभिन्न पत्र / पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यार्थियों में अध्ययन की अभिरुचि को जागृत करने एवं उनके ज्ञान के संवर्धन हेतु प्रतियोगिताओं एवं पुस्तक प्रदर्शनी आदि का आयोजन किये जाने का प्राविधान है। वाचनालय सुविधा प्रत्येक कार्य दिवस में 11.00 बजे से उपलब्ध रहेगी। घर ले जाकर पत्रिकाओं को पढ़ने के लिये “ओवर—नाइट इशू” पद्धति वर्तमान में लागू की गई है। परिचय—पत्र जमा कर पत्रिका इशू कार्ड भरकर छात्र पत्रिकाएं ले जा सकते हैं, किन्तु दूसरे दिन महाविद्यालय, पुस्तकालय खुलते ही उन्हें पत्रिका जमा करनी होगी अन्यथा 0.50 पैसे प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड देना होगा। पत्रिका जमा करने के उपरान्त ही परिचय—पत्र वापस किया जायेगा।

### **नेटवर्क रिसोर्स सेंटर**

यू.जी.सी. नेटवर्क रिसोर्स सेंटर महाविद्यालय परिसर में स्थापित है। इसका उद्देश्य शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों में कम्प्यूटर के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। इस सेंटर में इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है।

### **सेवायोजन परामर्श**

स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक विषय में प्रत्येक प्रश्न—पत्र के लगभग 20 उपयोगी प्रश्न छात्रों को दिये जाते हैं। जिन्हें छात्र हल करके ले आते हैं। सुविधानुसार अध्यापक उनका मूल्यांकन करते हुए छात्रों को उत्तर लिखने की व्यावहारिक प्रक्रिया से परिचित कराते हैं तथा सम्भावित कैरियर के सन्दर्भ में विमर्श करते हैं।

### **छात्रा कॉमन रूम**

महाविद्यालय के भवन में छात्राओं के लिये एक कॉमन रूम की व्यवस्था है।

### **साईकिल स्टैंड**

विद्यार्थियों की सुविधा के महाविद्यालय में साईकिल स्टैंप्ड की सुविधा उपलब्ध है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे साईकिलों को स्टैंप्ड पर ही रखें। परिसर अथवा बारामदाँ में खड़ी साइकिलें पकड़ी जाने पर रु. 10.00 अर्थदण्ड भी लिया जायेगा। यह छात्रों के हित में होगा कि वे साइकिल का नम्बर तथा मेक अपने पास नोट कर लें।

### **महिला प्रकोष्ठ -**

महाविद्यालय में छात्राओं की शिकायतें दूर करने हेतु महिल प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

### **पावर एंजेल -**

इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्राओं में से पावर एंजेल चुनी जाती हैं।

# ॥ महाविद्यालय परिवार ॥

## डॉ० रुजीव मोहन - प्रचार्ष प्राध्यापक मण्डल कला संकाय

हिन्दी

अंग्रेजी

संस्कृत

म0 एवं आ0 इतिहास

राजनीतिशास्त्र

अर्थशास्त्र

समाजशास्त्र

शारीरिक शिक्षा

1— डॉ० कुसुमलता

2— डॉ० नलिनी सिंह

1— रिक्त

2— रिक्त

1— डॉ० प्रभात कुमार सिंह

2— डॉ० भास्कर प्रसाद द्विवेदी

1— डॉ० रामनिहोर

2— डॉ० अरुणेश कुमार

1— डॉ० माधवी शुक्ला

2— डॉ० राजेश कुमार

1— डॉ० शोफालिका राय

2— रिक्त

1— डॉ० रजनीश

2— रिक्त

1— श्री अरविन्द कुमार

## विज्ञान संकाय

भौतिकी

रसायन विज्ञान

गणित

वनस्पति विज्ञान

जन्तु विज्ञान

1— श्री रतन लाल जायसवाल

2— रिक्त

1— डॉ० सूबेदार यादव

2— रिक्त

1— डॉ० मारुतिशरण ओझा

2— डॉ० आलोक कुमार श्रीवास्तव

1— डॉ० मंजू शर्मा

2— डॉ० अशर्फी लाल

1— डॉ० राजेश कुमार दुबे

2— रिक्त

## पुस्तकालय

1 पुस्तकालय अध्यक्ष

पद रिक्त

## कार्यालय

श्री छेदी लाल

श्री गीता नाथ झा

1— डॉ० रामानन्द पुजारी

2— श्री रामकेश सोनकर

3— श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह

4— श्री कमलेश शुक्ला

1— जयप्रकाश सिंह

2— श्री बुद्धिमान चौधरी

3— रिक्त

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

## ॥ कुल गीत ॥

विन्ध्य विभव के शुभ्र अंचल में विद्या-निलय यह शिक्षा-सार,  
ज्ञानदीप आलोकित करता राजकीय महाविद्यालय-चुनार।  
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह जी देशभक्ति का पावन नाम,  
उच्च शिक्षा के इस परम निलय को आओ मिलकर करें प्रणाम!

भारत माँ की संधि भूमि यह हँस-हँस कर मिलते मैदान-पठार,  
माँ विंध्याचल बन सरस्वती ले उतरीं कर वीणा झंकार;  
कला, ज्ञान, विज्ञान लुटातीं नित-नित उन्नत नवोपहार,  
वामपाश्वी होकर गंगा बहतीं कल-कल छल-छल जलधार!

ज्ञानदीप.....

पश्चिम दिसि से शीतला देवी करतीं सुशीतल यह संसार,  
पूरब दिसि से शिवशंकरी वरदान बाँटती बारम्बार,  
उत्तर को ही गंगा जाती ले दक्खिनी विंध्य पर्वतमाला का सार,  
धरती गाती, गगन है गाता, पथर गाते, गाता हरा-भरा संसार!

ज्ञानदीप.....


नैनागढ़ चुनारगढ़ से आ रही अटल वीरों की पुकार,  
स्वयं वीरता करती मानो मातृवन्दन, जनाभिनन्दन हो साकार,  
साधक सिद्धि कारण उपजे भर्तृहरि-उग्र सरीखे साहित्यकार,  
शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श से स्नात-सज्जित ज्यों अलंकार!

ज्ञानदीप.....

सजल नैन उर सजल संवेदन मंजुल छवि यह पावन धाम,  
उच्च शिक्षा के इस परम निलय को आओ मिलकर करें प्रणाम।

ज्ञानदीप.....3

जय हिन्द!



सत्र 2012-13 के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वार्षिक परीक्षा में इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर महाविद्यालय की छात्रा कु. प्रीति को स्वर्ण पदक व प्रमाण पत्र प्रदान करते महामहिम राज्यपाल श्री बी. एल. जोशी एवं कुलपति श्री पृथ्वीश नाग



सत्र 2012-13 के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वार्षिक परीक्षा में जन्मु विज्ञान में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर महाविद्यालय की छात्रा कु. प्रियंका राय को स्वर्ण पदक व प्रमाण पत्र प्रदान करते महामहिम राज्यपाल श्री बी. एल. जोशी एवं कुलपति श्री पृथ्वीश नाग



सत्र 2015-16 के क्रीड़ा चैंपियन प्रिया सिंह व धीरज प्रसाद को पुरस्कृत करते प्राचार्य डॉ. विजय सिंह राघव एवं मुख्य अधिकारी प्रो। ए.एन. सिंह यादव (संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा)



सत्र 2014-15 के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वार्षिक परीक्षा में इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर महाविद्यालय के छात्र फिरोज अहमद को स्वर्ण पदक व प्रमाण पत्र प्रदान करते महामहिम राज्यपाल श्री रामनार्थक एवं कुलपति श्री पृथ्वीश नाग





रोबर्स रेंजर्स शिविर के दौरान प्रशिक्षु छात्र छात्राओं को गांठ फांस बंधन की जानकारी देते डॉ। प्रभात कुमार सिंह



बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए महाविद्यालय द्वारा निकाली गई जागरूकता ऐली को हरी झंडी दिखा कर रवाना करते उपजिलाधिकारी चुनार श्री अवधेश कुमार मिश्र व वरि० प्राध्यापक डॉ। रामलोचन

जीवनदायिनी माँ गंगा के तट पर स्थित  
चुनार का ऐतिहासिक दुर्ग



महाविद्यालय की प्रयोगशालाएं व पुस्तकालय